


राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला रसद अधिकारी, करौली

प्रेस-नोट

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य विभाग द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देशों के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत नवसृजित 15 (हिण्डौन -10, मण्डरायल -01, नादौती -03, करौली -01,) एवं रिक्त 78 (हिण्डौन ग्रामीण -26, हिण्डौन शहर -03, मण्डरायल -03, सपोटरा -09, नादौती -03, करौली ग्रामीण -17, करौली शहर -06, टोडाभीम ग्रामीण -09, टोडाभीम शहर -02) कुल 93 उचित मूल्य दुकानों के लिए प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु कार्यालय विज्ञप्ति संख्या 907 एवं 922 दिनांक 14.02.2023 द्वारा दिनांक 10.03.2023 तक आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। उक्त संबंध में आवेदन प्राप्त करने एवं जमा कराने की अंतिम तिथि दिनांक 10.03.2023 को विस्तारित(Extend) कर दिनांक 17.03.2023 किया जाता है। उक्त आदेश श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, करौली द्वारा अनुमोदित है।



(रामसिंह मीना)

जिला रसद अधिकारी
करौली

दिनांक:- 14/03/2023

क्रमांक:-रसद/एफ.पी.एस. नियु./विज्ञप्ति/2023/2686-2703
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
4. ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति विभाग की वेबसाइट food.raj.nic.in पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित है।
5. माननीय सांसद महोदय करौली।
6. माननीय विधायक महोदय समस्त जिला करौली।
7. उपखण्ड अधिकारी, समस्त, जिला करौली।
8. तहसीलदार, समस्त, जिला करौली/विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, जिला करौली / आयुक्त नगर परिषद् करौली /हिण्डौन /ई.ओ. नगर पालिका टोडाभीम/सपोटरा को कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित है।
9. प्रबंधक राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम करौली।
10. सहायक निदेशक जिला सम्पर्क कार्यालय करौली को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करावें।
11. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
12. रक्षित पत्रावली।


जिला रसद अधिकारी
करौली